



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र०- छ०ग०/बलौदाबाजार/चू०प०/३८ छ०ग० १९००३
प्रति,

दिनांक :- २३/१०/२०१८

श्री नवनीत कुमार नुवाल, ज्वॉट प्रसीडेंट एवं नॉमिनेटेड ऑनर,
सर्वश्री अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड,
यूनिट:- भाटापारा, पोस्ट रवान - ३६२७१५,
तहसील:- भाटापारा एवं बलौदाबाजार,
जिला:- बलौदाबाजार - भाटापारा (छत्तीसगढ़),
फोन: ०७७२-२२००१० से १५, ई मेल:- navneet.nuwal@ambujacement.com

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित आपकी माल्दी मोपर चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल ५५३.६५६ हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक १२/१०/२०१८ को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री दिनेश पवार, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11 (1)	The following deviations have been found in the mine from the approved Scheme of Mining vide letter no. RAP/LST/MPLN-986/NGP Nagpur dated 13/10/2015 for the period of 2015-16 to 2017-18: Development F.Y. 2017-18: In addition to the proposed area for development and mineral production, the quarry has been extended towards southern side up to 100 meters approx.
Rule 14 (3)	The Limestone and Topsoil has been dumped with the overburden and waste material obtained during mining operations.
Rule 26 (2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2017-18.
Rule 33	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30th day of June for the year 2017-18.
Rule 45 (5) (c)	वार्षिक विवरणियाँ : खान की वित्त वर्ष २०१४-१५ एवं २०१५-१६ की वार्षिक विवरणियाँ ऑनलाइन नहीं भरी गई हैं एवं विवरणियों की प्रति क्षेत्रीय खान नियंत्रक, रायपुर को प्रेषित नहीं की गई है। वार्षिक विवरणियाँ www.ibm.gov.in पर ऑनलाइन भर कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगली १ जुलाई के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए।
Rule 45 (7)	Annual Returns; F.Y. 2017-18: Part I: (a) Name of the Mining Engineer In Charge and Geologist I Charge has not been mentioned. (b) Area put to use: (i) ०.५० ha area has been proposed to be utilized for Overburden/waste dumping during plan period whereas, ६.४५ ha has been utilized. (ii) ३.४२ ha area has been proposed for infrastructure during plan period whereas, ९.१८० ha area has been utilized.
Rule 55	Whole time Geologist has not been appointed.

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम ६२ के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम ११(२) एवं ४५(७) के अंतर्गत (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

०३. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से ४५ दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

कृ०पृ०प०..२.

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर